स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 27

दिनांक : 16.09.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष श्रीमान जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता मे विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 15.09.2022 को दोपहर 1.30 बजे, कॉन्फ्रेस हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में उपस्थित परिषद् के अधिकारीगण द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये :–

1. दिनांक 13.10.2021 से 31.08.2022 तक परिषद का आय–व्यय का ब्यौरा श्री विजय कुमार जैन, कोषाध्यक्ष एवं श्री अनिल कुमार सह–कोषाध्यक्ष द्वारा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका परिषद द्वारा अवलोकन पश्चात अनुमोदन किया गया।

2. विधि सेवा की स्मारिका में प्रकाशनार्थ बाबत् संदेश प्राप्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधान सभा अध्यक्ष माननीय विधि मंत्री, मुख्य सचिव महोदया, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधान सभा सचिव इत्यादि से संदेश प्राप्त करने हेतु, अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुरोध पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। स्मारिका में शेष परिपत्र शीघ्र जोड़े जाने, अगर किसी विधि अधिकारी की फोटो नहीं है, तो यथासंभव प्राप्त करने का निर्णय दिया गया। स्मारिका में वर्तमान में प्रभावी परिपत्र एवं आदेश ही रखे जाने एवं अनुपयोगी परिपत्र/आदेश सम्मिलित नहीं करने का निर्णय लिया गया।

3. कनिष्ठ विधि अधिकारी की पद संख्या को वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद निर्धारण में सम्मिलित कर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 7 नवीन पदों के सृजन एवं संयुक्त विधि परामर्शी के 20 पदों के नवसृजन के संबंध में, अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेखित किया गया कि इस संबंध में श्रीमान प्रमुख सचिव, वित्त विभाग से 11 बार मिला जा चुका है तथा उनके द्वारा समय–समय पर चाही गयीं विभिन्न प्रकार की

सूचनाऍं उपलब्ध कराते हुए, उन्हें संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। उक्त क्रम में अतिशीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आने का पूर्ण विश्वास है। कार्यकारिणी द्वारा उक्त संबंध में प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग का आभार व्यक्त किया गया।

4. विधि अधिकारियों के वेतन विसंगति एवं वेतन वृद्धि पर चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संबंध में परिषद द्वारा किये गये/किये जा रहे प्रयासों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश ड़ाला गया। कार्यकारिणी द्वारा उक्त संबंध में किये गये विशेष प्रयासों की सराहना की गयी।

5. हरिश चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में विधि अधिकारियों के शुरू हो रहे प्रशिक्षण के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। कुछ महिला अधिकारियों के द्वारा अल्पायु शिशुओं को प्रशिक्षण के दौरान साथ रखने की समस्या के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने संबंधित प्राधिकारीगण से चर्चा उपरान्त स्पष्ट किया कि शिशु की देखभाल हेतु प्रशिक्षणार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति भी परिसर में ठहर सकता है, किन्तु कक्ष में अतिरिक्त बैड़ लगवाने की स्थिति में, उसका भुगतान देय होगा। प्रशिक्षणार्थीगण को खानपान एवं रूकने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। इस प्रशिक्षण आयोजित कराने के संबंध में भी कार्यकारिणी द्वारा प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग का आभार व्यक्त किया गया।

6. विगत चुनाव के संबंध में सूचना चाहे जाने के बारे में परिषद को प्राप्त आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विधि सेवा परिषद् लोक सूचना अधिकार अधिनियम की परिधि में नहीं आती है, अतः आवेदन के साथ प्राप्त पोस्टल ऑर्डर को, उक्त उल्लेख के साथ मूल ही प्रेषक को वापस लौटा दिया जावे।

7. वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने बाबत् नियमों में संशोधन हेतु परिषद द्वारा विधि विभाग को पूर्व में दिनांक 31.05.2021 को दिये गये ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर इस बिन्दु के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। वर्ष 2024–2025 के बाद दो वर्ष तक कोई भी सहायक विधि परामर्शी के पद पर विधि सेवा का कोई भी अधिकारी पदस्थापित नहीं रहेगा, इसलिए पुनः इस संबंध में विधि विभाग को निर्धारित अनुभव अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने बाबत् नियमों में संशोधन हेतु ज्ञापन दिये जाने बाबत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।

8. कनिष्ठ विधि अधिकारी की नई भर्ती के संवंध में चर्चा की गयी। उक्त संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग द्वारा विधि विभाग से लियन से संवंधित रिक्तियों के वारे में जानकारी हेतु पत्रावली वापस भेजी गयी है। उक्त संबंध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया।

9. परिषद के खेल प्रकोष्ठ के प्रयोजन हेतु 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त संवंध में खेल प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव पर, श्रीमान अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं सह–कोषाध्यक्ष के संयुक्त अनुमोदन पर उक्त धनराशि में से आवश्यकतानुसार धनराशि जारी किये जाने हेतु अधिकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

10. विधि अधिकारियों द्वारा विधि विभाग शासन सचिवालय, जयपुर की संस्थापन शाखा में गत 7 वर्षो से पदस्थापित 67 वर्षीय सेवानिवृत्त कार्मिक श्री प्रहलाद नारायण सिन्हा के अवचार, दुर्व्यवहार से विधि अधिकारियों में व्याप्त भय एवं असन्तोष बाबत, श्री सिन्हा को विधि विभाग से हटाये जाने तथा संस्थापन के समस्त कार्यों हेतु सचिवालय सेवा के किसी स्थाई अधिकारी/कार्मिक को पदस्थापित किये जाने के संबंध में परिषद को प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 12.09.2022 पर कार्यकारिणी द्वारा विस्तापूर्वक चर्चा की गयी। उक्त संबंध में चर्चा उपरान्त कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त शिकायती पत्र में अंकित शिकायतों की निष्पक्ष जॉच कराने की अभिशंषा के साथ उक्त पत्र को अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्यमंत्री महोदय, विधि मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदया, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग को प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपिः प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महासचिव